छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –177 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-02807**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''ब्लू डायमंड सिटी'', प्रमोटर–रिंकु बिल्डकॉन, द्वारा–श्री प्रभाजीत सिंह, पता–वार्ड नं.–22, सिनेमा लाईन, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ब्लू डायमंड सिटी'' ग्राम–नंदई, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/08/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 07.05.2025 के अनुसार यह पाया गया कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''ब्लू डायमंड सिटी'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA230618000299** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 23.06.2018 से पंजीकृत किया गया है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 (2)(l)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–06/रेरा/ 2018/158, दिनाँक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 22.05.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन जून, 2025 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा वार्षिक विवरण रिपोर्ट वर्ष 2018–2019, 2019–2020, 2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–2024 अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है तथा समक्ष प्राधिकारी से दिनाँक 01.10.2019 को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अनावेदक द्वारा कार्य पूर्णता	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –177 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-02807**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''ब्लू डायमंड सिटी'', प्रमोटर–रिंकु बिल्डकॉन, द्वारा–श्री प्रभाजीत सिंह, पता–वार्ड नं.–22, सिनेमा लाईन, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ब्लू डायमंड सिटी'' ग्राम–नंदई, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्रमाण पत्र प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4(2)(l)(D) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	